खण्ड–9, अंक–8
सोमवार, 02 आषाढ़, शक संवत् 1925
(23 जून, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2003)

(खण्ड 9 में 9 अंक हैं)

उत्तराचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य :

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
श्री अजय भट्ट, सदस्य विधान सभा को फोन पर मिली धमकी के सम्बन्ध में सुरक्षा की मांग	01–2
नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाये जाने का प्रयास ...	02–3
प्रश्नोत्तर	03–17
भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का वर्ष 2000–2001, उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सरकार का सिविल प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	17–18
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	18
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरः स्थापित) ...	18
पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (पुरः स्थापित)	19
इक्फाई विश्वविद्यालय (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 (पुरः स्थापित) ...	19
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश का प्रस्ताव (स्वीकृत)	20–21
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	21
वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा, अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुदान संख्या–8 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या–26 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या–17 कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या–6 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–25 खाद्य विभाग, अनुदान संख्या–27 वन विभाग (स्वीकृत) ...	21–25
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	25
जनपद नैनीताल में गौला नदी से खुरिया खत्ता, शीशम भूजिया, श्रीलंका टापू, बिन्दुखत्ता, रावत नगर, हाटाग्राम में कृषि क्षेत्र में कटाव के संबंध में श्री हरीशचन्द्र दुर्गापाल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, वन मंत्री का वक्तव्य ...	26

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर बेरोजगार प्रशिक्षित फार्मासिस्टों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	26
विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत विद्यालयों का उच्चीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में श्री मालचन्द, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	27

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–डॉ० अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश
7–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8–श्री काशी सिंह ऐरी
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री कैलाश शर्मा
11–श्री कौल दास
12–श्री गोपाल सिंह राणा
13–श्री गोविन्द लाल
14–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
15–श्री चन्द्रशेखर
16–श्री जोत सिंह
17–श्री तसलीम अहमद
18–श्री तिलक राज बेहड़
19–श्री तेजपाल सिंह रावत
20–श्री दिनेश अग्रवाल
21–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
22–श्री नव प्रभात
23–श्री नारायण पाल
24–श्री नारायण राम आर्य
25–श्री नारायण सिंह जंतवाल
26–काजी निजामुद्दीन
27–श्री प्रकाश पंत
28–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
29–डॉ० प्रताप बिष्ट
30–श्री प्रदीप टम्टा
31–श्री प्रीतम सिंह पंवार
32–श्री प्रेमानन्द महाजन
33–श्री फूल सिंह बिष्ट
34–श्री बलबीर सिंह नेगी
35–श्री भगत सिंह कोश्यारी
36–श्री मदन कौशिक
37–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
38–श्री महेन्द्र भट्ट
39–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)
40–श्री मातबर सिंह कण्डारी
41–चौ० यशवीर सिंह
42–श्री रणजीत सिंह
43–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
44–श्री राम प्रसाद टम्टा
45–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
46–श्री शूरवीर सिंह
47–श्री शहजाद
48–श्री साधू राम
49–श्री सुबोध उनियाल
50–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
51–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
52–श्री सुरेश चन्द
53–श्री हरबंस कपूर
54–श्री हरभजन सिंह चीमा
55–श्री हरिदास
56–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
57–श्री हीरा सिंह बिष्ट
58–श्री हेमेश खर्कवाल
59–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 23 जून, 2003 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अजय भट्ट, सदस्य विधान सभा को फोन पर मिली धमकी के सम्बन्ध में सुरक्षा की माँग

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल होने दीजिए। प्रश्नकाल आपका है।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, अभी डेढ़ घंटे पहले फोन आया कि यदि आपने वह विषय फिर सदन में उठाया तो आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इससे पहले जो संबंधित मंत्री थे, उनके घर से फोन आया और कहा कि श्री अजय भट्ट ने कल मेरे साथ बद्तमीजी की। मान्यवर, ऐसा लगता है कि हम लोगों की जान सुरक्षित नहीं है। कल रानीखेत से आने के बाद माननीय अजय भट्ट जी पूरे दिन मेरे साथ रहे। मान्यवर, इस पर विचार होना चाहिए कि हम लोग यहां पर जिन्दा रहेंगे भी या नहीं। जो घटनाक्रम हो रहा है, यह इस प्रदेश का इतिहास ही बदल देगा। मान्यवर, नियम 311 का विषय तो महत्वपूर्ण है ही। मेरा निवेदन है कि इस अत्यधिक नाजुक विषय पर.........।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मेरी जानकारी में यह विषय नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह विषय मेरे संज्ञान में नहीं है। इसकी लिखित सूचना भी नहीं दी गई है।

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमें इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। (घोर व्यवधान)

*श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इस विषय पर सुन लिया जाये। यह गम्भीर मामला है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम तो आपसे संरक्षण चाह रहे हैं। मैंने डॉ0 हरक सिंह रावत जी के मामले को सदन में उठाया, लेकिन उनका नाम नहीं लिया। लेकिन उनकी पत्नी का फोन माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी को आया। उसके बाद मैंने पुलिस को सूचित किया। मान्यवर, मैं स्कॉर्ट लेकर विधान सभा आया हूँ। मान्यवर, मैं अभी रिजाईन दे रहा हूँ। मैं मौखिक रिजाईन तो दे ही रहा हूँ। अगर हमें सुरक्षा नहीं मिल सकती, तो हम कोई बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कैसे उठायेंगे। क्या मेरी डॉ0 हरक सिंह रावत जी से कोई दुश्मनी है। मैंने अखबार में छपी बात से ही इस मामले को उठाया। मैंने कभी भी उन्हें या किसी भी मंत्री को इंगित नहीं किया। मान्यवर, आपने मुझे क्यों जांच समिति में रखा। जब हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम कैसे काम करेंगे ?

(घोर व्यवधान)

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय भट्ट जी की जान को खतरा है।

श्री अध्यक्ष–

कौशिक जी आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीया मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, मैं भी रोजाना डेढ़ घंटे पूजा करता हूँ। जो आज मद में इतने चूर हो गये हैं कि गम्भीर बात को भी हल्के में ले रहे हैं, उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं, आम जनता को तो छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधियों को भी धमकियां दी जा रही हैं। मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मान्यवर, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह एक गम्भीर घटना है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि सदन की तरफ से मुझे सुरक्षा दी जाये।

''डॉ0'' (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुझ से नेता प्रतिपक्ष ने अपेक्षा की थी, इसीलिए मैं बोली थी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने किसी के भी बारे में नहीं बोला है, किसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं बोला है, हमने तो जो अखबारों में छपा था उसी का संज्ञान लेते हुए हमने यह मामला उठाया था। आप सदन की कार्यवाही में भी देख लें किसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से हमने नहीं बोला है।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री अजय भट्ट जी ने अपनी बात को रख लिया है, मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाये जाने का प्रयास

(व्यवधान)

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जब आपने व्यवस्था दे दी है तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। मान्यवर, दो बिन्दु सामने आये हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बिन्दु उठाया और माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य ने भी अपनी बात को रखा लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का यह कहना कि इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, यह सरकार का दायित्व है कि वह जनप्रतिनिधियों एवं जनता की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करें।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह केवल माननीय सदस्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो 311 की सूचना हमने दी है, वह इसी से संबंधित है अतः हमें 311 की सूचना पर सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय पूर्व में भी सदन में आ चुका है, अतः मैं इसे पुनः उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपया प्रश्नकाल होने दें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य वैल में आ गये और नारे लगाने लगे)

(लोकतन्त्र की हत्यारी सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, एन0डी0 तिवारी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, आदि)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, उसे चलने दीजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य वैल में खड़े होकर नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.30 बजे तक स्थगित करता हूँ।

(मार्शल, विधान सभा ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12.45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है)।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

जिला सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की नियुक्तियों का औचित्य

**1–श्री प्रकाश पन्त–

क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि जिला सहकारी बैंक, देहरादून तथा जिला सहकारी बैंक, कोटद्वार को बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट की धारा 11 की परिधि में आ गये हैं

तथा सरकार द्वारा अनुमन्य छूट हेतु संस्तुति की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इन बैंकों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पद विज्ञापित किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो पदों में नियुक्तियों का औचित्य क्या है ?

सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

जी हाँ।

जी हाँ।

जिला सहकारी बैंक, कोटद्वार को भारत सरकार द्वारा धारा 11 की उपधारा 1 के उपबन्ध से छूट प्रदान की गई, बैंक में कार्यरत स्टाफ की संख्या स्वीकृत स्टाफ की संख्या से कम होने के कारण नियुक्ति हेतु पद विज्ञापित किये गये हैं।

जिला सहकारी बैंक लि0, देहरादून द्वारा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन प्रेषित किया गया था।

प्रदेश में मेगाटेक तथा उत्तरांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट कम्पनियों को कन्सलटेन्सी के रूप में नियुक्ति के कारण

**2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में मेगाटेक तथा उत्तरांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट कम्पनियों को कन्सलटेन्सी के रूप में नियुक्त किये जाने का क्या कारण है ?

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण (वर्ष 2000–01) के स्वीकृत कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया लेकिन लोक निर्माण विभाग में अभियन्ताओं की कमी तथा अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों को कराने में असमर्थता व्यक्त की गई। अतः द्वितीय चरण के कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराने का निर्णय के क्रम में मैसर्स मेगाटेक प्रा0 लि0, नई दिल्ली (उत्तरांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कन्सलटेंसी के रूप में कार्यों के सम्पादन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त नियुक्त किया गया।

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

*1–श्री मदन कौशिक, श्री मातबर सिंह कण्डारी एवं श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

चतुर्थ सोमवार के लिए स्थगित।

*1—श्री मदन कौशिक—

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों को सुविधा देने पर विचार

*2—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या उद्योग मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल प्रदेश के अधिकांश जिले उद्योग शून्य हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों को क्या—क्या सुविधा देने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

उत्तरांचल के सभी जनपदों में लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाईयां स्थापित हैं तथा कुछ जनपदों में वृहद् एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयां स्थापित हैं।

पूर्व से केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2003 को राज्य के लिए स्वीकृत किये गये विशेष आर्थिक पैकेज में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधायें जैसे केन्द्रीय पूंजी उपादान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट, आयकर में छूट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किये जाना, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा उत्तरांचल को दुर्गम क्षेत्र की सुविधायें उपलब्ध कराना, ग्रोथ सेन्टर एवं औद्योगिक अवस्थापना विकास निगम हेतु अतिरिक्त उपादान आदि उल्लेखनीय हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु नई औद्योगिक नीति, 2003 बनाई गयी है। दिनांक 19—6—2003 को उक्त नीति की प्रति विधान सभा के पटल में रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना

*3—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

क्या मुख्यमंत्री को ज्ञात है कि उत्तरांचल का उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थापित होने से वादकारियों को कठिनाई हो रही है ?

क्या यह सत्य है कि नैनीताल में आवासीय सुविधा का अभाव, महंगा खान—पान, अधिवक्ताओं की ऊंची फीस के कारण वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध नहीं हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लोकहित में हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?
यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

भारत के संविधान की अनुसूची 7 की सूची–1 (संघ सूची) में प्रविष्टि 78 के अनुसार उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के बारे में उपबन्धों को छोड़कर उच्च न्यायालयों का गठन भारत संघ का कार्य है। अतः उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

––तदैव––

यह विषय राज्य सरकार का न होकर केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

––तदैव––

––तदैव––

मैदानी संवर्ग उपजेलरों को कार्यमुक्त एवं बन्दी रक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया

*4–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मैदानी संवर्ग विकल्पधारी उप जेलरों को कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा उत्तरांचल विकल्पधारी बन्दीरक्षक संवर्ग से उपजेलर पदों पर प्रोन्नति प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल कारागार विभाग में मैदानी संवर्ग गठित नहीं है। मैदानी संवर्ग के विकल्पधारी को कार्यमुक्त किया जाना सम्भव नहीं है, किन्तु उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों को भारत सरकार के अन्तिम आवंटन के पश्चात् कार्यमुक्त किया जाना सम्भव होगा।

बन्दी रक्षक संवर्ग के उपजेलर पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया उत्तरांचल कारागार की विभागीय संरचना के गठन के उपरान्त निकट भविष्य में किया जाना सम्भव होगा।

वर्ष 2001 से 2003 में व्यापार कर से प्राप्त राजस्व एवं राजस्व वृद्धि हेतु प्रणाली में परिवर्तन

*5–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 में व्यापार कर के रूप में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

क्या राजस्व वृद्धि के लिए सरकार कर प्रणाली में कोई परिवर्तन करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो उसका प्रस्तावित स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वित्तीय वर्ष 2001–2002 में महालेखाकार द्वारा प्रेषित वास्तविक आंकड़ों के अनुसार कुल रु0 478.23 करोड़ की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2002–2003 का वास्तविक लेखा

महालेखाकार से अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2002–2003 में लगभग रु0 552.86 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।

फिलहाल कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

समग्र परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई।

*6–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

एम0डी0डी0ए0 द्वारा अधिग्रहण की जा रही भूमि का प्रयोजन तथा उससे प्रभावित मालिकों को आवासीय सुविधा सम्बन्धी

*7–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा देहरादून महानगर व आसपास की भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो अभी तक कितनी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ?

उक्त अधिग्रहण भूमि का प्रयोजन क्या है तथा कहां–कहां पर कितनी–कितनी भूमि को अधिग्रहित किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार अधिग्रहण से प्रभावित आवासीय प्लाटों के मालिकों को आवासीय प्लाट उपलब्ध करायेगी तथा अधिग्रहण की कार्यवाही से प्रभावित कृषकों को नौकरी अथवा वाणिज्यिक प्लाट उपलब्ध कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो उसका क्या आधार बनाया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

अभी तक शहर की यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए ग्राम माजरा में 13.806 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के लिये किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम कारगी ग्रान्ट में 29.129 हेक्टेयर, ग्राम ब्राहमण वाला में 48.627 हेक्टेयर, ग्राम अजबपुर खुर्द में 60.211 हेक्टेयर, ग्राम कांवली में 5.829 हेक्टेयर, सेवला कलां–निरंजनपुर में 35.086 हेक्टेयर, धोरण खास में 15.909 हेक्टेयर, तरला नागल में 42.587 हेक्टेयर, सेंवला खुर्द में 9.443 हेक्टेयर, माजरा फेज–3 में 61.208 हेक्टेयर, अजबपुर कला में 75.456 हेक्टेयर तथा देहरा खास में 131.101 हेक्टेयर भूमि का अर्जन आवासीय, व्यावसायिक एवं कार्यालयों हेतु प्रस्तावित है।

ग्राम माजरा में 13.806 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के लिए किया गया है और अवशेष उपरोक्त स्थानों पर भूमि का अर्जन प्रस्तावित है।

यदि आवासीय प्लाटों के मालिक चाहेंगे, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्लाट उपलब्ध कराये जायेंगे। मांग करने पर बड़े काश्तकारों को वाणिज्यिक प्लाट उपलब्ध कराने की नीति पर विचार किया जा रहा है। नौकरी देने का कोई प्राविधान नहीं है।

केन्द्र सरकार के अनुरूप उत्तरांचल की औद्योगिक पैकेज नीति

*8–श्री अजय भट्ट–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक पैकेज के अनुरूप उत्तरांचल सरकार द्वारा भी पैकेज नीति घोषित कर दी है ?

यदि हां, तो नीति का विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

दिनांक 07 जनवरी, 2003 को केन्द्र सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य के लिए घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज के अनुरूप औद्योगिक नीति, 2003 दिनांक 19–06–2003 को घोषित की गई है। जिसका मुख्य विवरण निम्नवत् है :–

1. केन्द्रीय पूंजी उपादान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट, आयकर में छूट।
2. ग्रोथ सेन्टर एवं औद्योगिक अवस्थापना विकास निगम हेतु अतिरिक्त उपादान।
3. रूग्ण लघु इकाईयों के पुनर्जीवीकरण हेतु 3 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष अधिकतम रु0 2.00 लाख तक ब्याज उपादान।
4. प्लान्ट एवं मशीनरी के प्रवेश कर पर छूट।
5. आई0एस0ओ0 प्रमाणीकरण, पेटेन्ट पंजीकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयन्त्रों की स्थापना पर राज्य सहायता।
6. राजकीय खरीद में लघु औद्योगिक इकाईयों को मूल्य एवं क्रय वरीयता तथा मध्यम एवं वृहद् इकाईयों को मूल्य वरीयता।
7. तीन हजार फिट से अधिक ऊंचाई पर स्थापित होने वाली इकाईयों को विशेष सुविधा।
8. एकल खिड़की सुविधा (Single Window Facilitation)।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी नलकूपों के विद्युत बिलों की वसूली

*9–चौ0 यशवीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के निजी नलकूप के विद्युत बिल हर माह न लेकर वर्ष में एक बार (बिना चार्ज वसूल किये) लिये जाने की क्या कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

जी नहीं। विद्युत दरों के सम्बन्ध में दरें, सरचार्ज एवं प्रक्रिया निर्धारण उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 के प्राविधानानुसार उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। वर्ष 2003–04 हेतु विद्युत दर निर्धारण के लिये पावर कॉरपोरेशन द्वारा नियामक आयोग को प्रस्तुत प्रस्ताव में 10 एच0पी0 तक के निजी नलकूपों हेतु छमाही आधार पर विद्युत बिल भुगतान का प्रस्ताव किया गया है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत मूल्य कम करने की योजना

*10–श्री नारायण पाल–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में विद्युत मूल्य को कम करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 के अनुसार विद्युत दर निर्धारण का अधिकार उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग का है। आयोग द्वारा उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन लि0 के आय–व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत दरों का निर्धारण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

*11–काजी निजामुद्दीन–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

*12–डॉ0 नारायण सिंह जंतवाल–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

हरिद्वार जनपद के देहात क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति

*13–मौ0 शहजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में हरिद्वार जनपद के देहात क्षेत्र को कितने घन्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान में हरिद्वार जनपद के देहात क्षेत्र को 20 घन्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

नैनीताल झील परिक्षेत्र विकास क्षेत्र प्राधिकरण के नियमों के कारण जनता को हो रही दिक्कतों के शिथिलीकरण पर विचार

1—डॉ0 नारायण सिंह जंतवाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल "झील परिक्षेत्र विकास क्षेत्र प्राधिकरण" से जनता को हो रही दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण को समाप्त करने या उसके नियमों में शिथिलीकरण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

"नैनीताल झील परिक्षेत्र विकास क्षेत्र प्राधिकरण" को समाप्त नहीं किया जा रहा है। नियमों में शिथिलीकरण किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं :—

1. मरम्मत की स्वीकृति की प्रक्रिया सरल की गयी। मरम्मत की स्वीकृति हेतु अधिकतम समय सीमा 15 दिन निर्धारित की गयी है।
2. नैनीताल नगर के अधिकांश क्षेत्र में पुराने व जीर्ण—क्षीर्ण भवनों का पुनर्निर्माण अनुमन्य है।
3. वर्ष 1998 में डी0एस0बी0 कालेज परिसर के पास घटित भू—स्खलन के पश्चात नगर में किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी गयी थी। इससे जनता को हो रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए नैनीताल महायोजना में आवासीय भू—उपयोग के अन्तर्गत भारतीय भू—वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित जोन—3 (भू—स्खलन सम्भाव्यता 50 प्रतिशत—20 प्रतिशत) तथा जोन—4 (भू—स्खलन सम्भाव्यता 20 प्रतिशत से कम) में निजी प्रयोजन हेतु एकल आवासीय निर्माण अनुमन्य किया गया।
4. नैनीताल के बाहर स्थित क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी निम्नलिखित सरलीकरण प्राविधान किये गये :—

    I. दो मंजिलें के स्थान पर अधिकतम तीन मंजिलें भवन निर्माण की अनुमन्यता प्रदान की गयी।

    II. बड़े भू—खण्ड के आंशिक भाग पर प्रस्तावित निर्माण की दशा में उपविभाजन शुल्क पूरे भू—खण्ड पर आरोपित न करते हुए आंशिक भाग के आधार पर निर्धारित किये जाने का प्राविधान किया गया।

    III. मुख्य मोटर मार्ग के 220 मी0 स्थित स्थानीय ग्रामीण निवासियों को अपने भूखण्ड में निजी पारिवारिक प्रयोजन हेतु निर्माण के लिए छूट प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के घाट विकासखण्ड में हिम ऊर्जा को मन्दाकिनी नदी पर द्वितीय यूनिट लगाने की अनुमति

2–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में हिम ऊर्जा को विकास खण्ड घाट में मन्दाकिनी नदी पर द्वितीय यूनिट लगाने की अनुमति प्रदान की गयी है ?

यदि हाँ, तो यह यूनिट किस स्थान पर लगायी जायेगी ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जसपुर (ऊधमसिंह नगर) में बाल पोषाहार के रूप में खाद्यान्न का आवंटन

3–"डॉ0" शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002 में ऊधमसिंह नगर के किन–किन विकास खण्डों में बाल पोषाहार के रूप में खाद्यान्न का वितरण किया गया ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अवधि में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड, जसपुर में भी बाल पोषाहार के रूप में खाद्यान्न आवंटित किया गया था।

यदि हाँ, तो कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित आई0 सी0 डी0 एस0 कार्यक्रम में आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार दिया जाने का प्राविधान है। वर्ष 2002 में ऊधमसिंह नगर के 4 विकास खण्डों–खटीमा, सितारगंज, गदरपुर तथा बाजपुर में आई0 सी0 डी0 एस0 कार्यक्रम लागू था। जिनके अन्तर्गत जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2002 की अवधि में अनुपूरक पोषाहार के रूप में इण्डियामिक्स (पंजीरीनुमा पोषाहार) की आपूर्ति की मात्रा विकास खण्डवार इस प्रकार रही–खटीमा–80.40 मी0टन, सितारगंज–90.98 मी0टन, गदरपुर–60.85 मी0टन, बाजपुर–50.80 मी0टन।

उक्त अवधि में विकासखण्ड, जसपुर हेतु कोई अनुपूरक पोषाहार आवंटित नहीं किया गया क्योंकि वहाँ आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम लागू नहीं था।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विकासखण्ड, जसपुर में आई0 सी0 डी0 एस0 कार्यक्रम लागू नहीं था।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों का निर्माण व आवंटन

4–श्री मदन कौशिक–

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक कितनी दुकानों का निर्माण तथा आवंटन किया गया है ?

शेष दुकानों का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

1. शिवलोक आवासीय योजना प्रथम भाग में कुल निर्मित दुकानें	–	04
आवंटित दुकानें	–	04
रिक्त	–	शून्य
2. हरिलोक योजना निर्मित दुकानें	–	03
आवंटित दुकानें	–	शून्य
रिक्त	–	03

समाचार–पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा लगातार आवंटन का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

5–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

12वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ रिफरेन्स में हिमालयी राज्यों के प्रति भेदभाव

6–"डॉ0" नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 12वें वित्त आयोग टर्म ऑफ रिफरेन्स (Term of Reference) में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के सम्बन्ध में विभिन्न हिमालयी राज्यों के प्रति भेदभाव मिटाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख है ?

यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

हिमालयी राज्य के पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण प्राकृतिक संसाधन यथा वन, खनन आदि के दोहन की सीमित सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 12वें वित्त आयोग से इस बिन्दु को ध्यान में रखने का भी अनुरोध किया जा रहा है।

7–"डॉ0" नारायण सिंह जंतवाल–

तृतीय सोमवार के अता0–1 में स्थानान्तरित।

राज्य विधिक प्राधिकरण, उत्तरांचल में नियुक्तियाँ

8–"डॉ0" नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य विधिक प्राधिकरण, उत्तरांचल, नैनीताल में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा व राज्य का निवासी होने के सम्बन्ध में कोई आवश्यकीय शर्त है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विधिक प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात विधिक प्राधिकरण में कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं ?

क्या नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी उपरोक्त शर्तों (राज्य का निवासी व आयु सीमा) को पूरा करते हैं ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

–तदैव–

–तदैव–

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ में बन्द पड़ी मैग्नासाइट फैक्ट्री को पुनः प्रारम्भ करने पर विचार

9–श्री प्रकाश पन्त–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में हिमालयन मैग्नासाइट फैक्ट्री बन्द हो चुकी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार पुनः प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ, उक्त फैक्ट्री दिनांक 16–05–1997 से श्रमिकों एवं प्रबन्धन के बीच अशान्ति के कारण बन्द है। बी0आई0एफ0आर0 द्वारा इकाई के बन्दीकरण का निर्णय लेते हुए विभागीय परिसमापक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सूचनानुसार इकाई के कार्य स्थल पर मशीनरी एवं भवन का मुख्य अस्तित्व विद्यमान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

बन्द पड़े उद्योगों के लिए कार्य योजना

10—श्री प्रकाश पन्त—

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि विभिन्न प्रकार की पॉलिथीन निर्माण के कितने उद्योग उत्तरांचल में स्थापित हैं ?

वर्तमान में विभिन्न कारणों से कितने उद्योग बन्द पड़े हैं ?

बन्द पड़े उद्योगों के लिए सरकार की कोई कार्ययोजना प्रस्तावित है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उपलब्ध सूचनानुसार उत्तरांचल में विभिन्न प्रकार के पॉलिथीन निर्माण करने वाली 55 इकाईयाँ स्थापित हैं।

वर्तमान में विभिन्न कारणों से 51 इकाईयाँ बन्द हैं।

राज्य की औद्योगिक नीति, 2003 के अन्तर्गत रूग्ण लघु इकाईयों के पुनर्वासन एवं पुनर्जीवीकरण हेतु कार्ययोजना प्रस्तावित की गयी है। कार्ययोजना के अन्तर्गत रूग्ण लघु श्रेणी की इकाईयों के पुनर्वासन हेतु तैयार पैकेज में वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा प्रदत्त किये गये ऋण पर लगने वाले ब्याज पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रोत्साहन अधिकतम सीमा रु0 2.00 लाख प्रतिवर्ष एवं दूरस्थ स्थानों में स्थापित इकाईयों को यह प्रोत्साहन 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 3.00 लाख प्रतिवर्ष दिया जायेगा। पर्यावरणीय स्थिति का ध्यान रखा जायेगा।

उत्तरांचल में लिपिक संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन तथा वेतनमान बढ़ाने पर विचार

11—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में कार्यरत लिपिक संवर्ग के पदनाम में कोई परिवर्तन करने तथा वेतनमान बढ़ाये जाने पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो इस पर कब तक सकारात्मक निर्णय ले लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून में कांवली रोड स्थित एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी में व्यवसायिक भवनों से घरेलू विद्युत कर लिया जाना

12–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में विस्थापितों की कांवली रोड स्थित एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी में व्यवसायिक रूप से आवंटित भवनों म आवंटियों द्वारा घरेलू विद्युत कनैक्शन लेकर राजस्व की लाखों रुपये की क्षति पहुंचाई जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं। वर्णित कॉलोनी में जो भवन/दुकान व्यवसायिक रूप में प्रयोग किये जा रहे हैं उनसे व्यवसायिक कार्यों हेतु निर्धारित विद्युत दरें ही वसूल की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल में पट्टे की भूमि को फ्रीहोल्ड करने पर विचार

13–''डॉ'' नारायण सिंह जंतवाल–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद नैनीताल में पट्टे की भूमि को फ्रीहोल्ड करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

उत्तरांचल राज्य गठन से पूर्व, पूर्ववर्ती राज्य द्वारा निर्गत शासनादेश के अन्तर्गत 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने वाले भू–खण्डधारियों के भू–खण्डों को फ्रीहोल्ड कराने हेतु शा0आ0सं0–726/शा0वि0आ–03–187(आ)/2001 टी0सी0–1, दि0 10–03–2003 द्वारा फ्रीहोल्ड किये जाने के प्राविधान किये जा चुके हैं। जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में विभागों का पुनर्गठन कार्य

14–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में विभागों का पुनर्गठन कार्य पूर्ण हो गया है ?

क्या अभियोजन निदेशालय का गठन हो गया है या अभियोजन निदेशालय को पुलिस विभाग के अन्तर्गत ही रखा जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अधिकतर विभागों का पुनर्गठन का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष विभागों के पुनर्गठन का कार्य गतिमान है।

इस सम्बन्ध में भी उक्तानुसार कार्यवाही गतिमान है।

श्रीनगर गढ़वाल में खोले जाने वाले मेडिकल कालेज में शिक्षण कार्य

15–श्री मदन कौशिक–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्रीनगर गढ़वाल में इसी वर्ष खोले जाने वाले मेडिकल कालेज में शिक्षण कार्य इसी वर्ष से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया के प्रमुख मानकों के अनुसार 300 शैय्याओं का चिकित्सालय, 25 एकड़ भूमि तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता आवश्यक है। सम्प्रति 300 शैय्याओं के चिकित्सालय के मानक को पूर्ण करने हेतु बेस चिकित्सालय, श्रीनगर का उच्चीकरण की कार्यवाही गतिमान है। मानकों की पूर्ति के उपरान्त तथा एम0सी0आई0/भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर ही शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति

16–श्री नारायण पाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रान्त में कितने राजकीय महाविद्यालय बिना पूर्णकालिक स्थायी प्राचार्यों के चल रहे हैं ?

उनमें प्राचार्यों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के 10 पद सम्प्रति रिक्त हैं।

यथाशीघ्र।

विभिन्न विभागों में रिक्त अवर अभियन्ताओं के पदों का परीक्षा परिणाम

17–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि 2 मार्च, 2002 को उत्तरांचल सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त अवर अभियन्ताओं के पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण द्वारा गुच्चू पानी, देहरादून को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना

18–श्री हरबंस कपूर–

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण द्वारा गुच्चू पानी, देहरादून को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना बनाई गयी थी ?

यदि हाँ, तो यह योजना कब बनायी गयी थी तथा इस पर कितना व्यय किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

वर्ष 1987 में 79.50 लाख रुपये की योजना तैयार कर पर्यटन विभाग को प्रेषित की गयी थी, उक्त योजना स्वीकृत नहीं हो पायी। स्वीकृति की प्रत्याक्षा में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अपने सीमित संसाधनों से विकास कार्य कराये गये, जिसमें रु0 13.09 लाख का व्यय हुआ।

(श्री अध्यक्ष के पुनः 12.45 बजे पीठासीन होने पर)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य खड़े हो गये और अपनी बातें एक साथ उठाने लगे।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले भी मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, कृपया बैठ जायें, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उत्तर आ चुका है।

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य वैल पर आ गये और नारे बाजी करने लगे–"यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी–गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, आज दो, अभी दो आदि)

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का वर्ष 2000–2001, उत्तर प्रदेश/ उत्तरांचल सरकार का सिविल प्रतिवेदन

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री ["डॉ0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2000–2001, उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल

सरकार का सिविल प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री [''डॉ0'' (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष 2003 के प्रथम सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूँ।

(कार्यसूची की मद संख्या–7, 8, 9 के अन्तर्गत श्री प्रकाश पन्त एवं मद संख्या–10 के अन्तर्गत श्री कैलाश शर्मा, सदस्य विधान सभा की याचिका के लिए नाम पुकारे जाने पर वह खड़े नहीं हुए)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–7, मद संख्या–8, मद संख्या–9 तथा मद संख्या–10 पर माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए खड़ा नहीं हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री ''डॉ0'' (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

''डॉ0'' (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री ["डॉ0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

"डॉ0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री "डॉ0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

"डॉ0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 जून, 2003 की बैठक में दिनांक 23 जून, 2003 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

23 जून, 2003 सोमवार

माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से सम्बद्ध विभाग :

अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय पर्यटन, आबकारी एवं सैनिक कल्याण मंत्री से सम्बद्ध विभाग :

अनुदान संख्या–8, आबकारी विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा से सम्बद्ध विभाग :

अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय कृषि, कृषि विपणन एवं जलागम प्रबन्धन मंत्री से सम्बद्ध विभाग :

अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय मुख्यमंत्री से सम्बद्ध विभाग :

अनुदान संख्या–6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा एवं मतदान।

माननीय वन, पर्यावरण एवं शहरी विकास मंत्री से सम्बद्ध विभाग :

अनुदान संख्या–27, वन विभाग की अनुदान पर माँग, चर्चा एवं मतदान।

संसदीय कार्य मंत्री "डॉ0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा, अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुदान संख्या–8 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या–26 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या–17 कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या–6 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–25 खाद्य विभाग, अनुदान संख्या–27 वन विभाग

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलकराज बेहड़)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2390680 हजार (दो सौ उन्तालिस करोड़ छः लाख अस्सी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2390680 हजार (दो सौ उन्तालिस करोड़ छः लाख अस्सी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–8 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 39704 (तीन करोड़ सत्तानबे लाख चार हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–8 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 39704 हजार (तीन करोड़ सत्तानबे लाख चार हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*पर्यटन मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 345300 हजार (चौंतीस करोड़ तिरेपन लाख) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 345300 हजार (चौंतीस करोड़ तिरेपन लाख) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 9175178 हजार (नौ सौ सत्रह करोड़ इक्यावन लाख अठहत्तर हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 9175178 हजार (नौ सौ सत्रह करोड़ इक्यावन लाख अठहत्तर हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1812166 हजार (एक सौ इक्यासी करोड़ इक्कीस लाख छियासठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपये 1812166 हजार (एक सौ इक्यासी करोड़ इक्कीस लाख छियासठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–6 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 996627 हजार (निन्यानबे करोड़ छियासठ लाख सत्ताइस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–6 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 996627 हजार (निन्यानबे करोड़ छियासठ लाख सत्ताइस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25 खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 89163 हजार (आठ करोड़ इक्यानबे लाख तिरसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25 खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 89163 हजार (आठ करोड़ इक्यानबे लाख तिरसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1829792 हजार (एक सौ बयासी करोड़ सत्तानबे लाख बानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1829792 हजार (एक सौ बयासी करोड़ सत्तानबे लाख बानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें मैं अस्वीकार कर रहा हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

. . .

जनपद नैनीताल में गौला नदी से खुरिया खत्ता, शीशम भूजिया, श्रीलंका टापू, बिन्दुखत्ता, रावत नगर, हाटाग्राम में कृषि क्षेत्र में कटाव के सम्बन्ध में श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, वन मंत्री का वक्तव्य

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह अवगत कराया है, कि नैनीताल जनपद में गोला नदी ने खुरिया खत्ता, शीशम भूजिया, श्रीलंका टापू, बिन्दुखत्ता, रावत नगर, हाटाग्राम में कृषि क्षेत्र में कटाव किया है, जिसके कारण वहाँ की जनता भयभीत है। इन प्रभावित क्षेत्रों में तटबन्धों का निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से तत्काल करवाने एवं भविष्य में गोला नदी के कटाव से उपरोक्त क्षेत्र की जनता को राहत देने के लिए एक व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद नैनीताल के संजय नगर, रावत नगर, खुरिया खत्ता एवं श्रीलंका टापू, बिन्दु खत्ता गाँव की गोला नदी से सुरक्षा के लिए एक बाढ़ सुरक्षा योजना बनाई गयी है जिसकी अनुमानित लागत रु0 162.23 लाख है। योजना की तकनीकी स्वीकृति उत्तरांचल राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा प्रदान कर दी गई है। योजना कार्यान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था शीघ्र कराने की व्यवस्था की जा रही है।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर बेरोजगार प्रशिक्षित फार्मासिस्टों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

[उ0 प्र0 शासन द्वारा उत्तरांचल को राज्य गठन के पश्चात् फार्मासिस्ट संवर्ग के अन्तर्गत 09 फार्मेसी अधिकारी, 178 चीफ फार्मासिस्ट तथा 688 फार्मासिस्ट के पद उत्तरांचल को आवंटित किये गये। उक्त पदों में फार्मेसी अधिकारी एवं चीफ फार्मासिस्ट के पद पदोन्नति के पद हैं तथा फार्मासिस्टों के पद सीधी भर्ती के हैं। 09 फार्मासिस्टों के पद उत्तरांचल गठन के बाद सृजित किये गये हैं। सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग के अन्तर्गत 03 पद फार्मेसी अधिकारी, 14 पद चीफ फार्मासिस्ट तथा 09 पद फार्मासिस्ट के कुल 26 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों के विरूद्ध वर्तमान में 14 मेडिकल अटेन्डेन्ट, 01 ड्रेसर तथा 01 नर्सिंग असिस्टेन्ट का वेतन आहरित किया जा रहा है। इस प्रकार फार्मासिस्ट संवर्ग में कुल शुद्ध रिक्ति 12 है। रिक्त पदोन्नति के पदों एवं फार्मासिस्टों के पदों पर तैनाती की कार्यवाही नियमानुसार सुसंगत सेवा नियमावली के आधार पर की जायेगी।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत विद्यालयों का उच्चीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में श्री मालचन्द, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

[राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के इण्टर स्तर पर उच्चीकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक मदों पर कुल व्यय भार रु0 20.50 लाख प्रति विद्यालय अनुमानित है। इण्टर स्तर पर उच्चीकरण हेतु विद्यालयों के प्रस्तावों का परीक्षण निम्न मानकों के तहत किया जाता है :–

1–क्षेत्र की सेवित जनसंख्या 8000 से कम नहीं होना चाहिए।

2–प्रस्तावित राजकीय हाई स्कूल में कक्षा 6 से 10 तक की छात्र संख्या कम से कम 150 होनी चाहिए।

3–कक्षा 11 की अनुमानित छात्र संख्या कम से कम 25 होनी चाहिए।

4–प्रस्तावित विद्यालय का प्रथम बैच हाई स्कूल की परीक्षा में कम से कम पाँच वर्ष पूर्व का होना चाहिए।

5–प्रस्तावित विद्यालय का गत तीन वर्षों का हाई स्कूल का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

6–10 किमी0 की परिधि में कोई इण्टर कालेज नहीं होना चाहिए।

7–विद्यालय के पास निःशुल्क पर्याप्त भवन एवं भूमि होना चाहिए।

रा0 उ0 मा0 वि0 भुटाणू, चीमां, खरसाड़ी तथा साँकरी द्वारा उक्त मानकों को पूर्ण किये जाने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत उच्चीकरण के प्रस्ताव यथासमय विचारणीय होंगे।

प्रा0 विद्यालय का उच्चीकरण जूनियर हाई स्कूल स्तर पर केन्द्र पोषित योजना "सर्वशिक्षा अभियान" के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित "जिला बेसिक शिक्षा समिति" द्वारा किया जाता है। प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों के मध्य तथा तीन किमी0 की परिधि में एक जूनियर हाई स्कूल खोले जाने का मानक निर्धारित है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 01 बजकर 05 मिनट पर मंगलवार, 2003 को अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गयी)

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

देहरादून :
दिनांक : 23 जून, 2003

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 विधान सभा/254–01–10–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।